सातवीं अनुसूची / 7th Schedule

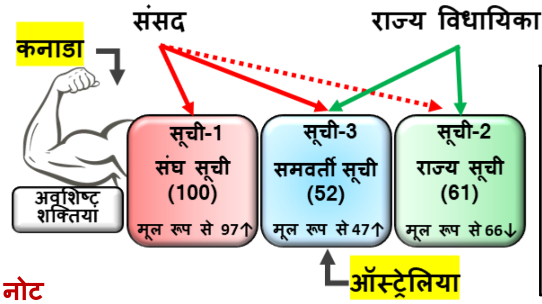

संघ कानून की प्रधानता टकराव/ओवरलैप के मामले में राज्य के कानून पर संघ का कानून हावी होता है

संसद इन मामलों में राज्य सूची के लिए कानून बना सकती है

- ✓ राष्ट्रपति शासन के दौरान
- ✓ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
- ✓ अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए
- ✓ जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है (अनुच्छेद 249)
- ✓ जब दो या दो से अधिक राज्य प्रस्ताव पारित करते हैं (फिर वे राज्य शक्ति खो देते हैं)

नोट

संघीय प्रणाली (केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन) 1935 अधिनियम और कनाडा से ली गई थी
मजबूत केंद्र और केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियां 1935 अधिनियम और कनाडा से ली गई थीं
समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी

संघ सूची सूची-1
रक्षा, परमाणु ऊर्जा
विदेश मामले, विदेश व्यापार
रेल, वायु, बंदरगाह, पोस्ट, टेलीग्राफ, जनगणना
बैंकिंग, मुद्रा
बीमा, स्टॉक एक्सचेंज
खानों/तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा
क्षेत्रीय जल से परे मत्स्य पालन
कर - आय कर, निगम कर, पूंजी कर

समवर्ती सूची सूची-3
शिक्षा, बिजली
समाचार पत्र, किताबें, प्रिंटिंग प्रेस
जंगल, जानवरों की सुरक्षा
फैक्टरी, बॉयलर, ट्रेड यूनियन
भोजन में मिलावट
जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन
विवाह, तलाक, गोद लेना, वसीयत, उत्तराधिकार
कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण
आर्थिक और सामाजिक योजना

राज्य सूची सूची-2
स्वास्थ्य, स्वच्छता, शराब
व्यापार और वाणिज्य
गैस और गैस का काम
पुलिस, लोक व्यवस्था, जेल
स्थानीय सरकार, राज्य लोक सेवा
कृषि और कृषि आय पर कर
पशुपालन, मत्स्य पालन
भूमि, संपत्ति कर
कैपिटेशन टैक्स, निखात निधि

Prelims 1992
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत राज्य सूची में नहीं है?
(क) मत्स्य पालन
(ख) कृषि
(ग) बीमा
(घ) सट्टेबाजी, जुआ

Prelims 2004
भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है?
(क) वन: समवर्ती सूची
(ख) स्टॉक एक्सचेंज: समवर्ती सूची
(ग) डाकघर बचत बैंक: संघ सूची
(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य: राज्य सूची

Prelims 2006
निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत है?
(क) खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन
(ख) कृषि
(ग) मात्स्यिकी
(घ) जन स्वास्थ्य

42वां संशोधन
5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची मे स्थानांतरित किया
1. जंगल
2. जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण
3. वजन और माप
4. शिक्षा
5. न्याय का प्रशासन (SC/HC को छोड़कर न्यायालयों का गठन)

महत्वपूर्ण विषय

संघ (सूची-1)	समवर्ती (सूची-3)	राज्य (सूची-2)
	दंड विधि	पुलिस, लोक व्यवस्था
रेलवे		रेलवे पुलिस
लॉटरी	सट्टेबाजी, जुआ	शराब
राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव		राज्य विधानमंडल के लिए चुनाव
खानों/तेल क्षेत्रों में श्रम सुरक्षा	श्रम विवाद, श्रमिकों का कल्याण	

सातवीं अनुसूची में संशोधन
संसद में विशेष बहुमत और
साधारण बहुमत से 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन

ग्रे क्षेत्र? समवर्ती सूची
सरकारिया आयोग ने कहा कि समवर्ती सूची के विषय न तो विशेष रूप से राष्ट्रीय हैं, न ही विशेष रूप से स्थानीय हैं, इसलिए इन्हे संवैधानिक ग्रे क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है

ALL INCLUSIVE IAS

सातवीं अनुसूची / 7th Schedule

PT 365

भारत सरकार अधिनियम 1919
इसने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करके प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण को कम किया था

1901	1911	1921	1931	1941
1902	1912	1922	1932	1942
1903	1913	1923	1933	1943
1904	1914	1924	1934	1944
1905	1915	1925	1935	1945
1906	1916	1926	1936	1946
1907	1917	1927	1937	1947
1908	1918	1928	1938	1948
1909	1919	1929	1939	1949
1910	1920	1930	1940	1950

भारत सरकार अधिनियम 1935
इसने विधायी शक्ति को तीन सूचियों में वितरित किया

भारत का संविधान
सातवीं अनुसूची शामिल करी

संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन करता है
- ✓ विधायी शक्ति (भाग-11) ✓
- ✓ कार्यकारी शक्ति (भाग-11) ✓
- ✓ वित्तीय शक्ति (ज्यादातर भाग-12 में) ✓
- X न्यायिक शक्ति (एकीकृत न्यायपालिका) X

अनुच्छेद 245 → कानून बनाने की शक्ति देता है
राज्य के लिए कानून राज्य बनाएगा
भारत (और भारत के बाहर) के लिए कानून संसद बनाएगी

अनुच्छेद 246 → विषयों को विभाजित करता है
- संसद सूची-1 विषयों के लिए कानून बनाएगी
- दोनों सूची-3 विषयों के लिए कानून बनाएंगे
- राज्य सूची-2 विषयों के लिए कानून बनाएगा

अनुच्छेद 248 → केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां देता है
- मामले जो सातवीं अनुसूची में नहीं हैं जैसे अंतरिक्ष, साइबर, आदि ।
- भारत, कनाडा और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र को अवशिष्ट शक्तियां दीं
- अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और उद्देश्य संकल्प ने राज्यों को अवशिष्ट शक्तियां दीं

भाग XI - संघ और राज्यों के बीच संबंध
(अनुच्छेद 245-263)
विधायी संबंध
प्रशासनिक संबंध
अंतर्राज्यीय जल विवाद (262)
अंतर-राज्यीय विवाद और अंतर-राज्य परिषद (263)

Q. कौन सा अनुच्छेद कानूनों को निरस्त/संशोधित करने का अधिकार देता है?
अनुच्छेद 245 (क्योंकि नया कानून बनाकर ही पुराने कानून को निरस्त किया जाता है)

पहली बार 1950 में किया गया था (72 कानून निरस्त किए गए थे)

Prelims 1994
किस संदर्भ में केंद्र-राज्य संबंध को विशेष रूप से नगरपालिका संबंध के रूप में जाना जाता है
(क) विधायी क्षेत्र में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण
(ख) वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण
(ग) प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण
(घ) योजना प्रक्रिया में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण

Prelims 2013
संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है
(क) सभी राज्यों की सहमति से
(ख) अधिकांश राज्यों की सहमति से
(ग) संबंधित राज्यों की सहमति से
(घ) किसी भी राज्य की सहमति के बिना

Read more....
Revisit the seventh schedule to improve Centre-State relations
01-05-2022, Mint
https://www.livemint.com/opinion/online-views/revisit-the-seventh-schedule-to-improve-centre-state-relations-11651424987318.html

ALL INCLUSIVE IAS

सातवीं अनुसूची का महत्व

→ यह दो स्तरों के बीच विषयों को विभाजित करके शक्ति की एकाग्रता को रोकता है।
→ यह राज्यों को सीमित स्वायत्तता देकर अलगाववादी प्रवृत्ति को रोकता है।
→ यह केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्ति को विभाजित करके संघर्ष को रोकता है।
→ यह राज्यों को क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार नीतियां बनाने की अनुमति देता है।

सातवीं अनुसूची में सुधार की जरूरत

→ यह आतंकवाद, अंतरिक्ष, साइबर कानून आदि जैसे 21वीं सदी के मुद्दों से अपडेट नहीं है।
→ समवर्ती सूची विवाद पैदा करती है क्योंकि केंद्र और राज्य एक ही विषय पर कानून बनाते हैं।
→ यह सरकार के तीसरे स्तर यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों को विषय नहीं देता है।

सुझाव

<u>अप्रचलित प्रविष्टियों को निकालें</u>

→ सूची-3 प्रविष्टि 27 - विभाजन के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास
→ सूची-3 प्रविष्टि 37 - बॉयलर (प्रौद्योगिकी अब उन्नत है, विशेष प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं है)

<u>वर्तमान शासन आवश्यकताओं के अनुसार प्रविष्टियां जोड़ें</u>

→ ब्लॉकचेन, जीन एडिटिंग आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करें।
→ उपभोक्ता संरक्षण के लिए प्रविष्टि करें, क्योंकि इस पर एक केंद्रीय कानून के बावजूद, 7 वीं अनुसूची में कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है।

<u>सूचियों के बीच प्रविष्टियाँ स्थानांतरित करें</u>

→ नीति आयोग ने पुलिस और लोक व्यवस्था को समवर्ती सूची में लाने का सुझाव दिया है।
→ 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

<u>सरकारिया आयोग की सिफारिशें</u>

→ अवशिष्ट शक्तियों को संघ सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाना चाहिए
→ केंद्र को समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करना चाहिए। (एनसीआरडब्ल्यूसी और पुंछी आयोग द्वारा भी अनुशंसित)

निष्कर्ष

राष्ट्रीय प्रगति का मंत्र टकराव नहीं, सहयोग होना चाहिए।
केंद्र और राज्य अपने-अपने डोमेन में सर्वोच्च हैं और उन्हें शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का सम्मान करना चाहिए।
7वीं अनुसूची भारतीय संघ का आधार है। विस्तृत चर्चा और आम सहमति के बाद ही इसमें कोई भी सुधार किया जाना चाहिए।

ALL INCLUSIVE IAS

Q. क्या आपको लगता है कि 7वीं अनुसूची को हटा दिया जाना चाहिए?

7 वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच जिम्मेदारी को विभाजित करती है
यानी यह संघवाद को लागू करने के लिए एक आवश्यक उपकरण है
इसे हटाने से हमारी राजनीति एकात्मक प्रकृति की हो जाएगी

Q. एकात्मक व्यवस्था में क्या समस्या है? यूके, फ्रांस, सिंगापुर सभी एकात्मक व्यवस्था हैं।

उनकी जनसंख्या भारत से बहुत कम है
एकात्मक व्यवस्था के माध्यम से 140 करोड़ लोगों की सेवा करना बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती होगी

Q. लेकिन चीन भी तो एकात्मक राजनीति है (भारत के समान आबादी)

चीन एक अधिनायकवादी राज्य है, इसलिए, उसके लिए 140 करोड़ लोगों को नियंत्रित करना कोई चुनौती नहीं है
सीसीपी लोगों को नियंत्रित करती है, इसलिए वह शक्ति की एकाग्रता करते हैं
भारत लोगों की सेवा करता है, इसलिए हम शक्ति का वितरण करते हैं

Understand the concept **सीसीपी 140 करोड़ लोगों पर कैसे शासन करती है, और क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए?**

चीन में, सभी शक्ति एक पार्टी में केंद्रित है – चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी)
सीसीपी न तो न्यायपालिका के साथ क्षैतिज रूप से शक्ति साझा करती है, न ही राज्यों के साथ लंबवत रूप से।
भारत में ऐसी प्रणाली को लागू करने के लिए, दो विकल्प हैं:

Option #1: (एक कदम विधि)

एक दलीय व्यवस्था लाने के लिए संविधान में संशोधन करें।
इससे शक्ति का डी-जुरे और डी फैक्टो केंद्रीकरण होगा।
इसलिए, इस तरह के संशोधन की संभावना कम है।

डी जुरे = कानून द्वारा (आधिकारिक तौर पर) राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली हैं

डी फैक्टो = वास्तव में (वास्तविक तौर पर) पीएम सबसे शक्तिशाली हैं

Option #2: (चरण दर चरण विधि)

धीरे-धीरे शक्ति के क्षैतिज (horizontal) और ऊर्ध्वाधर (vertical) वितरण को कम करें।

चरण -1: क्षैतिज रूप से शक्ति केंद्रित करें:

विधायिका पहले से ही कार्यपालिका का गठन करती है।
यदि कार्यपालिका न्यायपालिका का गठन करना शुरू कर दे तो सत्ता का क्षैतिज केन्द्रीकरण पूरा हो जाएगा।
आधिकारिक तौर पर शक्ति का वितरण होगा, लेकिन वास्तविक तौर पर शक्ति का केन्द्रीकरण होगा।

चरण -2: लंबवत रूप से शक्ति केंद्रित करें:

केंद्र पहले से ही राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कारण: (क) 7वीं अनुसूची (ख) केन्द्रीय एजेंसियां (ग) धन
अगर केंद्र और राज्यों के चुनाव एक ही दिन होते हैं, तो दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी की संभावना बढ़ जाएगी।
आधिकारिक तौर पर शक्ति का वितरण होगा, लेकिन वास्तविक तौर पर शक्ति का केन्द्रीकरण होगा।

शक्ति का ऊर्ध्वाधर वितरण

ऊर्ध्वाधर का अर्थ है विभिन्न स्तर अर्थात
केंद्र और राज्य अपने स्तर के भीतर शक्तिशाली हैं

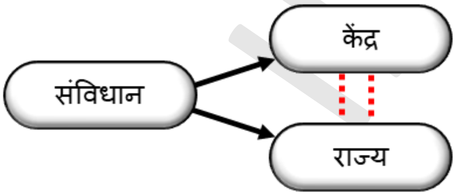

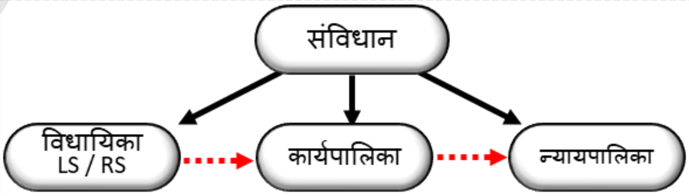

शक्ति का क्षैतिज वितरण

क्षैतिज का अर्थ है समान स्तर अर्थात
तीनों अंग समान रूप से शक्तिशाली हैं

विकल्प # 3 भी है - अमेरिकी मॉडल का पालन करें

- नाजी जर्मनी ने शक्ति के केंद्रीकरण द्वारा शासन किया। वह देश बर्बाद हो गया।
- यूएसएसआर ने शक्ति के केंद्रीकरण द्वारा शासन किया। वह देश बर्बाद हो गया।
- चीन शक्ति के केंद्रीकरण से शासन करता है। वह बर्बाद हो सकता है।
- अमेरिका सदियों से शक्ति के वितरण का पालन कर रहा है।
  कमजोर होने के बजाय, वह समय के साथ और शक्तिशाली हुआ है।

परिपक्व लोकतंत्र (जैसे अमेरिका) मीडिया और नागरिक समाज के साथ भी शक्ति साझा करते हैं।
लेकिन चीन में, मीडिया को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं को राष्ट्र-विरोधी कहकर जेल में डाल दिया जाता है।

क्या इस विषय ने प्रीलिम्स / मेन्स / इंटरव्यू के लिए आपके ज्ञान में वृद्धि की?
हां, इससे मेरा ज्ञान बढ़ा है ➔ अन्य विषयों का वीडियो भी देखें। और कई बार रिवाइस करें।
नहीं, इसने मेरे ज्ञान में वृद्धि नहीं की ➔ यहां अपना समय व्यर्थ न करें। बेहतर स्रोतों से अध्ययन करें।

ALL INCLUSIVE IAS

UPSC Mains 1993

छद्मता के सिद्धांत का वर्णन करें (150 words, 10 marks)

छद्मता

इसका मतलब है कानून के वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए उसको रंगना।
जब विधायिका प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर पाती है,
तो वह मूल लक्ष्य को पूरा करने के लिए
कानून को वैकल्पिक उद्देश्य से रंग देती है।

छद्मता का सिद्धांत

→ जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।
→ गजपति बनाम उड़ीसा मामले 1953 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस सिद्धांत पर पूरी तरह से चर्चा की गई थी।

महत्व

अदालतें इसका उपयोग, कानून बनाने की विधायिका की क्षमता, का परीक्षण करने के लिए करती हैं।
(हालांकि, कानून के उद्देश्य पर अदालतों द्वारा विचार नहीं किया जाता है)
यह विधायिका को अपनी विधायी शक्तियों को पार करने से रोकता है। उदाहरण के लिए।
→ जब संघ या राज्य दूसरे की सूची पर कानून बनाने का प्रयास करता है
→ जब विधायिका अपनी संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग करती है जैसे बालाजी बनाम मैसूर 1962

बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962

→ अनुच्छेद 15 (4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण प्रदान करता है।
→ राज्य के कानून ने सभी समुदायों (ब्राह्मणों को छोड़कर) को पिछड़ा वर्ग घोषित करदिया (उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए)।
→ सुप्रीम कोर्ट ने कहा की यह कानून अनुच्छेद 15 (4) पर धोखाधड़ी है ।

Understand the concept जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता।

सुरक्षा गार्ड प्रत्यक्ष रूप से घर का मालिक नहीं बन सकता है। मतलब, वह अप्रत्यक्ष रूप से भी मालिक नहीं बन सकता है।

हमारे घर की देखभाल करो

घर के हित में, आप मेरे कहे अनुसार काम करेंगे।

शक्ति देने वाला

शक्ति पाने वाला

सुरक्षा गार्ड के पास सीमित शक्ति है। वह असीमित शक्ति प्राप्त करने के लिए उस सीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, यह कहकर कि यह सबकी भलाई के लिए है।

सीमित शक्ति पाने वाला, उस शक्ति का प्रयोग करके, सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में परिवर्तित, नहीं कर सकता है।

तत्व और सार / Pith & Substance

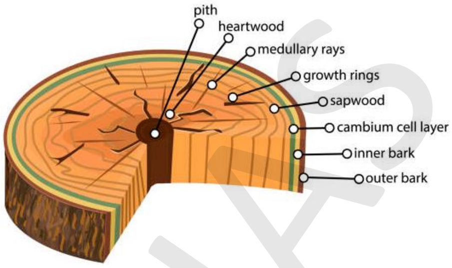

- → न्यायपालिका इसका उपयोग कानून की वास्तविक प्रकृति खोजने के लिए करती है।
- → बॉम्बे बनाम बलसारा केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था।
- → किसी अन्य सूची में कानून का आकस्मिक अतिक्रमण, उसे अमान्य नहीं बनाता है।

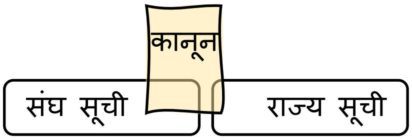

यदि संघीय कानून का मुख्य सार संघ सूची में ही है,
तो राज्य सूची में आकस्मिक अतिक्रमण उसे अमान्य नहीं बनाता है।

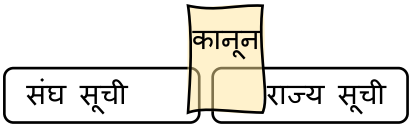

यदि राज्य कानून का मुख्य सार राज्य सूची में ही है,
तो संघ सूची में आकस्मिक अतिक्रमण उसे अमान्य नहीं बनाता है।

महत्व

तीन सूचियों के बीच सख्त अलगाव संभव नहीं है।
जब कानून तैयार किए जाते हैं, तो दूसरी सूची में कुछ ओवरलैप संभव है।
यह सिद्धांत आकस्मिक अतिक्रमण के मामले में कानून को बनाए रखने में अदालत की मदद करता है।
उदाहरण: पांडुरंग 2020 मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरफेसी अधिनियम (संघ सूची) 'सहकारी बैंकों' (राज्य सूची) पर लागू होता है।

पांडुरंग निर्णय (05-05-2020)

2002 - केंद्र ने सरफेसी अधिनियम बनाया
('बैंकिंग' संघ सूची में है)
2003 - केंद्र ने सहकारी बैंकों पर भी इसको लागू किया।
(समस्या: 'सहकारी समितियां' राज्य सूची में हैं)
2022 - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहकारी बैंकों पर सरफेसी अधिनियम 'आकस्मिक अतिक्रमण' है, जिसकी कानून में अनुमति है।
इसलिए, सरफेसी अधिनियम अब सहकारी बैंकों पर लागू है।

https://www.barandbench.com/columns/a-blow-to-borrowers-supreme-courts-nod-to-co-operative-banks-taking-thesarfaesi-route

ALL INCLUSIVE IAS

राजद्रोह / SEDITION

PT 365

राजद्रोह शासन के खिलाफ होता है, जबकि देशद्रोह राष्ट्र के खिलाफ होता है।

राजद्रोह कानून
- अंग्रेजों इसका इस्तेमाल असहमति से निपटने के लिए करते थे
- स्वतंत्र भारत (लोकतंत्र) में अभी भी इसका उपयोग किया जाता है

1837: मैकाले द्वारा तैयार
1860: आईपीसी में शामिल नहीं
1870: आईपीसी में शामिल हुआ

किसने कहा कि 'राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है'?
1930 में गांधी
(सीडीएम के दौरान)

- IPC की धारा 124A के तहत राजद्रोह होता है "विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रीति"
- यह एक गैर-जमानती अपराध है
- अधिकतम सजा आजीवन कारावास है
- मुकदमे के दौरान, आरोपी:
  - → पासपोर्ट सरेंडर करेगा
  - → सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा

राजद्रोह के कुछ मामले

1891: पहला मुकदमा **जोगेंद्र चंद्र बोस** (बंगोबासी के संपादक) पर चला। उन्होंने "सहमति की आयु अधिनियम, 1891" की आलोचना की थी। वह बरी हुए।

बाल गंगाधर तिलक (1897, 1909, 1916)

गांधी (1922) गिरफ्तार (6 साल → 2 साल)

और भी कई अन्य राष्ट्रवादी गिरफ्तार हुए मुख्य रूप से सरकार की आलोचना करने वाले लेख प्रकाशित करने के लिए।

1917: राजनीतिक आतंकवाद का मूल्यांकन करने के लिए **राजद्रोह समिति** (सिडनी रॉलेट समिति) नियुक्त की गई।
1919: अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, 1919 (उर्फ **रॉलेट अधिनियम**, काला अधिनियम)
- ❖ यह भारत के रक्षा अधिनियम 1915 का विस्तार था
- ❖ समाचार पत्रों ने इसे "न वकील, न अपील, न दलील" के रूप में वर्णित किया
- ❖ इसने सरकार को प्रेस को चुप कराने, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमे के हिरासत में लेने और बिना वारंट के गिरफ्तार करके राजद्रोह को खत्म करने का अधिकार दिया।
- ❖ इसने सरकार को आतंकवादी गतिविधियों के संदेह में किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत किया।
- ❖ इस अधिनियम को 1922 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा निरस्त किया गया था।

The Hindu Quiz on sedition on 12-05-2022 and its solutions on 13-05-2022

THE DAILY QUIZ

In a major decision, the Supreme Court has frozen the British-era sedition law till it is re-examined. Here's a quiz on prominent personalities related to the sedition law

1 The first recorded trial under Section 124A of the sedition law in India was against a newspaper editor who had opposed the British government's decision to change the age of consent from 10 to 12. Name the editor and the newspaper.

2 "It is my duty to judge you as a man subject to the law, who has by his own admission broken the law and committed what to an ordinary man must appear to be grave offences against the State." These were the words used by Justice R.S. Broomfield before sentencing which person who was standing trial for sedition exactly 100 years ago?

3 When Bal Gangadhar Tilak was sentenced for sedition after publishing an article in his newspaper *Kesari* defending the actions of Khudiram Bose and Prafulla Chaki in Muzaffarnagar, who was acting as his lawyer in the case?

4 The judge who passed the verdict sentencing Lokmanya Tilak to imprisonment in 1908 also happened to be the lawyer arguing Tilak's case in a similar trial in 1897. Name him.

5 A participant in the freedom movement, this person was once part of the Forward Bloc and later joined the "Forward Communist Party". He was arrested and later tried for sedition in 1962 in a case where the Supreme Court, while upholding the law (and convicting him), defined the scope for its use. Name him.

◀ This member of the Constituent Assembly and later a founder of the Vishva Hindu Parishad was one of the most vehement speakers against sedition during the Constituent Assembly deliberations that resulted in the omission of the word from the Constitution. Name him. ▪WIKIPEDIA COMMONS

Questions (abridged) and Answers to the previous day's daily quiz: 1. The first recorded trial under Section 124A of the sedition law in India was against this newspaper editor. **Ans: Jogendra Chandra Bose, editor of *Bangobasi***
2. Justice R. S. Broomfield sentenced this person who was standing trial for sedition exactly 100 years ago. **Ans: Mahatma Gandhi**
3. Bal Gangadhar Tilak's lawyer who was acting on his behalf when he was sentenced for sedition after publishing an article in his newspaper *Kesari* defending the actions of Khudiram Bose and Prafulla Chaki. **Ans: Mohammad Ali Jinnah**
4. The judge who passed the verdict sentencing Lokmanya Tilak to imprisonment in 1908. **Ans: Justice Dinshaw Davar**
5. A participant in the freedom movement, this person was tried for sedition in 1962 in a case where the Supreme Court, while upholding the law, defined the scope for its use. **Ans: Kedar Nath Singh**
Visual: This person was a member of the Constituent Assembly and later a founder of the Vishva Hindu Parishad. **Ans: K.M. Munshi**

Quotations

असहमति देशभक्ति का सर्वोच्च रूप है।
- थॉमस जेफरसन / हॉवर्ड ज़िन

विरोधियों को बंद करने से असहमति कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है ।
- अमल क्लूनी

Did you know?

1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और मांडले (बर्मा) जेल भेज दिया गया।
जेल में, (1908-1914) उन्होंने "गीत रहस्य" पुस्तक लिखी, जो 1915 में प्रकाशित की गई ।

I read I forget, I see I remember | See explanation video on app "All Inclusive IAS" or website www.allinclusiveias.com

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों को निलंबित कर दिया है, और सरकार को इस ब्रिटिश काल के कानून पर पुनर्विचार करने को कहा है।

धारा 124A के समर्थन में तर्क

→ संविधान का अनुच्छेद 19(2) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है
→ कानून को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि इसका दुरुपयोग हो रहा है
→ यह कानून राष्ट्र विरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए जरूरी है

धारा 124 ए के विरोध में तर्क

→ **लोकतंत्र में राजद्रोह का कोई स्थान नहीं है** (कोई आलोचना नहीं = कोई लोकतंत्र नहीं)
अगर सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती है तो चुनाव कराना निरर्थक है
→ **सरकार विरोधी का मतलब राष्ट्र-विरोधी नहीं है**
सरकार की आलोचना, और राष्ट्र की आलोचना, में अंतर होता है
गांधी और तिलक सरकार के खिलाफ बोलते थे, राष्ट्र के खिलाफ नहीं
→ **अन्य कानून मौजूद हैं**
देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ UAPA का इस्तेमाल होना चाहिए
→ **अन्य देशों ने इसे हटा दिया है**
ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया अपने राजद्रोह कानून को रद्द कर चुके हैं

दुरुपयोग का आरोप

→ **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है**
सरकार की आलोचना करने पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है
→ **असहमति को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है**
आरोपी की सार्वजनिक छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाती है
→ **प्रक्रिया ही सजा है।** दोषसिद्धि की दर कम होने के बावजूद गिरफ्तारियां की जाती हैं
2015-18: 191 मामले दर्ज, सिर्फ 4 को सजा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

केदारनाथ केस 1962:
→ लोग सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल और लिख सकते हैं।
→ आलोचना कितनी ही कड़े शब्दों में की गई हो, जो हिंसा न करे, वो राजद्रोह नहीं है।

बलवंत सिंह केस 1995:
→ केवल नारे लगाना राजद्रोह नहीं है।

विधि आयोग 2018

→ IPC की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए
→ यदि सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती है, तो आज़ादी के पूर्व और बाद के भारत में कोई अंतर नहीं है।

आगे का रास्ता

→ पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।
→ गंभीर अपराधों के लिए, UAPA जैसे कानूनों का उपयोग होना चाहिए
→ "अप्रीति" (disaffection) शब्द को "हिंसा" (violence) से बदलें; "सरकार" शब्द को "देश" से बदलें ।

निष्कर्ष

असहमति लोकतंत्र का सुरक्षा वाल्व है।
असहमति को दबाने की औपनिवेशिक मानसिकता का आधुनिक भारत में कोई स्थान नहीं है।
हमें आलोचना को सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए।

ALL INCLUSIVE IAS

राजद्रोह / SEDITION — INTERVIEW

सवाल - सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी है. राजद्रोह क्या है?
जवाब - IPC की धारा 124A के मुताबिक राजद्रोह का मतलब है "विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति अप्रीति"

सवाल - सुप्रीम कोर्ट ने इसे निलंबित क्यों किया है?
जवाब - कई अदालती मामलों में यह देखा गया कि सरकार की आलोचना को दबाने के लिए मामले दायर किए गए थे

सवाल - अगर सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है, तो राजद्रोह क्या है?
जवाब - विभिन्न अदालती फैसलों के अनुसार, आलोचना के साथ-साथ, होना चाहिए
→ सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान, या
→ हिंसक तरीके से सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास, या
→ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा

सवाल - यदि राजद्रोह कानून नहीं हटाया जाता है, तो आप किन संशोधनों का सुझाव देंगे?
जवाब - दो क्षेत्रों में संशोधन की आवश्यकता है :
1. विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का कानून में उल्लेख किया जाना चाहिए, ताकि काननों का दुरुपयोग कम हो।
2. आरोपी पर प्रतिबंध कम किए जाने चाहिए। दोषसिद्धि की दर सिर्फ 3% है, इसका मतलब है कि राजद्रोह के लिए दर्ज अधिकांश लोग निर्दोष हैं।

सवाल - यदि वे निर्दोष हैं, तो उन्हें अदालत में इसे साबित करने दें, प्रतिबंधों में ढील क्यों दी जाए?
जवाब - क्योंकि प्रक्रिया ही सजा है। मामलों को समाप्त होने में वर्षों लगते हैं। मुकदमे के दौरान आरोपी सरकारी नौकरी के लिए पेश नहीं हो सकता है। आधे आरोपियों की उम्र 30 साल से कम है। जब तक वे निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक उनकी एलिजिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। निर्दोष लोग सरकारी नौकरी की परीक्षा में बैठने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

सवाल - सरकारी नौकरी अधिकार है?
नौकरी के लिए "आवेदन करना" एक अधिकार है, चयनित होना नहीं। ☺

https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/arrests-under-sedition-charges-rise-but-conviction-falls-to-3/articleshow/81028501.cms

The Economic Times
Arrests under sedition charges rise but conviction falls to 3%
By Rahul Tripathi, ET Bureau
Feb 17, 2021, 07:51 AM IST
NEW DELHI: Arrest of Disha Ravi, a 21-year-old green activist from Bengaluru, by Delhi Police on Saturday brings into focus a spike in state and central governments using sedition charges to deal with dissent or criticism even as not even 4% of the accused are convicted.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

AGE Group (Arrested)	MALE	FEMALE	Pendency rate
18-30	54	01	69.4%
30-45	33	00	Convicted
45-60	08	00	02

प्रक्रिया ही सजा है
लेकिन केवल आरोपी के लिए!

Read more....
- https://www.thehindu.com/news/national/sc-asks-centre-states-to-not-file-fresh-firs-in-sedition-cases/article65403622.ece
- https://www.thehindu.com/news/national/sedition-law-supreme-court-order-has-the-effect-of-making-bail-the-rule-in-section-124a-cases/article65404690.ece
- https://indianexpress.com/article/india/supreme-court-landmark-sedition-cases-vinod-dua-disha-ravi-7911200/
- https://timesofindia.indiatimes.com/line-of-no-control/Sedition-vs-sedation/cartoonshow/51346033.cms
- https://blog.ipleaders.in/landmark-sedition-cases-in-india/

कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने राजद्रोह कानून पर बहस की और उसे खारिज कर दिया
26-01-2019 - The Print - https://theprint.in/opinion/how-our-constitution-makers-debated-rejected-the-draconian-sedition-law/183548/
संविधान सभा ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राजद्रोह को 'एक उचित प्रतिबंध' बनाने के खिलाफ फैसला किया। लोकतंत्र का सार सरकार की आलोचना है। (Constituent Assembly debates, 1 December 1948, K.M. Munshi)

विधि आयोग ने राजद्रोह के प्रावधान पर विचार करने को कहा
30-08-2018 - The Hindu - https://www.thehindu.com/news/national/law-commission-backs-dissent-in-a-democracy/article24822850.ece
→ IPC की धारा 124A पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए
→ सरकार की आलोचना लोकतंत्र का आवश्यक घटक है।
→ यदि सरकार आलोचना के लिए तैयार नहीं है, तो स्वतंत्रता से पहले और बाद के भारत में कोई अंतर नहीं है।
→ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय अखंडता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
→ एक ही गाने की किताब से गाना देशभक्ति का पैमाना नहीं है।

मृत्युदंड / Capital Punishment **PT 365**

सुप्रीम कोर्ट उस प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा है जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट मृत्युदंड देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया है। [सितंबर 2022 अपडेट]

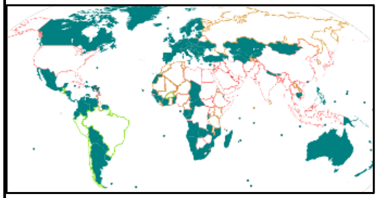

खतम - नेपाल, भूटान, कनाडा, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया (कुल 109 देश)
चालू - अमेरिका, जापान, भारत, चीन, मध्य पूर्व, आदि

यूरोप -
मृत्युदंड का उन्मूलन यूरोपीय संघ में प्रवेश के लिए एक शर्त है
केवल बेलारूस में आज भी मृत्युदंड दिया जाता है

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1989
यह किशोरों को मृत्युदंड देने से मना करता है
इस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया हैं
इसे अमेरिका को छोड़कर सभी हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अनुमोदित (ratified) किया गया है

संयुक्त राष्ट्र के संकल्प
2007-2020 के बीच, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मृत्युदंड को रोकने के लिए 8 गैर-बाध्यकारी प्रस्तावों को अपनाया है

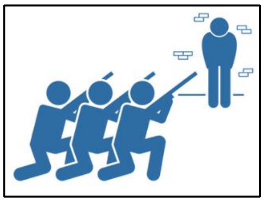

अनुमत विधियाँ - ✓ फांसी ✓ गोली

नागरिक ➔ केवल फांसी
सीआरपीसी की धारा 354 (5) के अनुसार

कोर्ट मार्शल ➔ फांसी और गोली (सेना, वायु सेना, नौसेना)
सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 के अनुसार

सीआरपीसी 1898
- → मृत्युदंड हत्या के लिए डिफ़ॉल्ट सजा थी
- → आजीवन कारावास देने पर जज को फैसले में कारण बताना पड़ता था

सीआरपीसी 1955 संशोधन
- → मृत्युदंड न देने पर लिखित कारणों की आवश्यकता को हटाया गया

सीआरपीसी 1973
- → आजीवन कारावास डिफ़ॉल्ट सजा बन गया
- → केवल असाधारण मामलों में मृत्युदंड दिया जाता है

निम्नलिखित में से किन कानूनों के तहत मौत की सजा दी जा सकती है?
- ✓ सेना अधिनियम, बीएसएफ अधिनियम, आदि।
- ✓ जिनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960
- ✓ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- ✓ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999
- ✓ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट 1985
- ✓ सती अधिनियम 1987
- ✓ एससी एसटी अधिनियम 1989
- ✓ और कुछ और ...

कुछ लोगों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता है किशोर, गर्भवती महिला, मानसिक बीमारी वाला व्यक्ति

Read more....

सावधान !
अधिकांश मीडिया रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है कि **शबनम** (अमरोहा हत्या मामला) स्वतंत्र भारत में मृत्युदंड से मरने वाली पहली महिला बन सकती है।

सच यह है कि **रतन बाई जैन** स्वतंत्र भारत में मृत्युदंड से मरने वाली पहली महिला थीं (1955)

https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_India

Executed person	Nationality	Year	Victim(s)	President
Dhananjoy Chatterjee	Indian	2004	Hetal Parekh	A. P. J. Abdul Kalam
Ajmal Kasab	Pakistani	2012	26/11 victims	Pranab Mukherjee
Afzal Guru	Indian	2013	2001 parliament attack victims	
Yakub Memon	Indian	2015	1993 Bombay bombing victims	
Mukesh Singh	Indian	2020	Jyoti Singh	Ram Nath Kovind
Akshay Thakur	Indian			
Vinay Sharma	Indian			
Pawan Gupta	Indian			

अगर दया याचिका खारिज हो जाती है, तो क्या व्यक्ति को बचाया जा सकता है? हाँ
उदाहरण- 2014 में राष्ट्रपति ने सीमा गावित और रेणुका शिंदे की दया याचिका खारिज कर दी थी।
लेकिन 2022 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दया याचिका पर फैसले में देरी के कारण उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।
https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/gavit-sister-case-files-how-a-25-year-old-legal-battle-unfolded-101642525732195.html

I read I forget, I see I remember | See explanation video on app “All Inclusive IAS” or website www.allinclusiveias.com

ALL INCLUSIVE IAS

मृत्युदंड / Capital Punishment

राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कानून की **उचित प्रक्रिया के बाद** मृत्युदंड दिया जाता है ।

यह **प्रतिकारी न्याय** के सिद्धांत पर आधारित है (अपराधी को अपराध के लिए पीड़ा मिलनी चाहिए)

मौत की सजा के समर्थन में तर्क

→ जो लोग दूसरों की जान लेते हैं, वे अपना जीने का अधिकार खो देते हैं।

→ यह डर पैदा करता है। मौत के डर से गंभीर अपराध कम हो जाते है।

→ यह केवल दुर्लभतम मामलों में दिया जाता है। 2004 के बाद से केवल आठ लोगों को फांसी दी गई है ।

→ यह लोकतंत्र की मांग है। ज्यादातर लोग मौत की सजा को जारी रखने के पक्ष में हैं।

→ यह उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद दिया जाता है। आरोपी को मृत्युदंड के खिलाफ अपील करने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है।

मौत की सजा के खिलाफ दलीलें

→ मृत्युदंड डर पैदा नहीं करता है। कोई प्रमाण नहीं है की मृत्युदंड से अपराध को कम होते है।

→ न्यायाधीश अपने हिसाब से सजा देते है। अब सुप्रीम कोर्ट को मृत्युदंड की प्रक्रिया की समीक्षा करनी पड़ रही है

→ जनता और मीडिया ट्रायल से अदालत के फैसलों पर प्रभाव पड़ता है ।

→ यह अपरिवर्तनीय है। यदि मृत्यु के बाद निर्दोषता साबित होती है तो कोई उपाय नहीं बचता है। रावजी राव और सुरजा राम को 1996 और 1997 में फांसी दी गई थी। बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए थी ।

→ कम पुष्टि दर। 2004 और 2013 के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने हर साल केवल 3-4 मृत्युदंड की पुष्टि की, जबकि 3,700 मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले

बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980:
मृत्युदंड केवल "रेयरेस्ट ऑफ रयर" मामलों में दिया जा सकता है।

शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ, 2014:
फांसी में देरी यातना है और सजा को कम करने का आधार है।

विधि आयोग की 262वीं रिपोर्ट

भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अलावा मौत की सजा को समाप्त किया जाना चाहिए।

आगे की राह

→ निचली अदालतों द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के लिए एक समान दिशा-निर्देश होने चाहिए

→ मुकदमे की रफ्तार बड़ाये। वास्तविक डर तुरंत गिरफ्तारी और सजा से आता है

→ यदि आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है तो सक्षम वकील प्रदान करें

→ निर्दोष को सजा से बचाने के लिए न्याय प्रणाली में सुधार की आवयशकता है

→ दया याचिका पर समयबद्ध फैसला होना चाहिए ताकि विलंब के कारण सजा काम न हो

ALL INCLUSIVE IAS

क्षमादान की शक्ति / Pardoning power PT 365

राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति

- ❑ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर (अमेरिका में ऐसा नहीं होता है)
- ❑ यह न्यायपालिका से स्वतंत्र एक कार्यकारी शक्ति है
- ❑ राष्ट्रपति अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं
- ❑ यदि यह मनमाना, तर्कहीन, दुर्भावनापूर्ण या भेदभावपूर्ण है तो इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

	राष्ट्रपति	राज्यपाल
अनुच्छेद	72	161
कानून	केंद्र	राज्य
कोर्ट मार्शल	हाँ	नहीं
मृत्युदंड	क्षमा, लघुकरण	लघुकरण

राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करते है जब

- ✓ व्यक्ति ने केंद्र का कानून तोड़ा हो (राज्य कानून नहीं)
- ✓ मृत्युदंड (केंद्र या राज्य कानून द्वारा)
- ✓ सजा सैन्य अदालत द्वारा दी गई हो

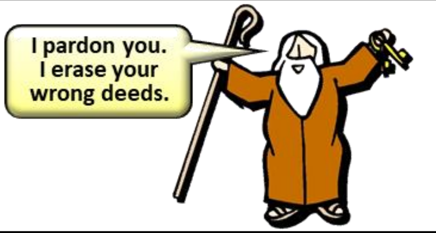

क्षमा / Pardon (भूल जाओ जो हुआ)	दोषसिद्धि और सजा दोनों हट जाते है	जैसे उसने अपराध किया ही न हो
लघुकरण Commutation (commute)	दंड का चरित्र बदलते हुए कठोर दंड को हल्के दंड से बदलना	जैसे फांसी देने के बजाय जेल
परिहार Remission (Remittance)	दंड का चरित्र बदलने के बजाए दंड की मात्रा कम करना	जैसे 5 साल की जेल को घटाकर 2 साल करना
विराम / Respite (pity)	विशेष तथ्य के कारण सजा कम करना	जैसे गर्भावस्था या विकलांगता
प्रविलंबन/Reprieve (evening)	सजा को कुछ समय का विराम देना	जैसे फांसी को अस्थायी रूप से रोकना

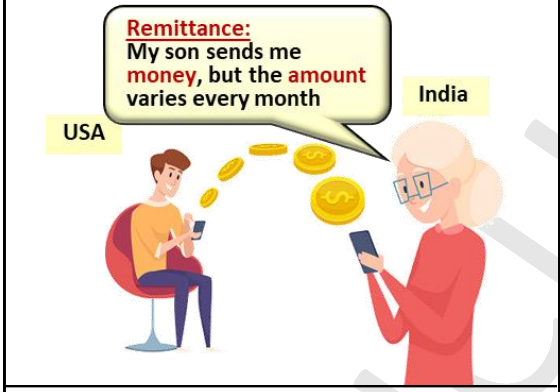

क्षमादान की शक्ति / Pardoning power MAINS 365

फ़ायदे

यह जटिल कानूनी प्रक्रिया को मानवीय स्पर्श देता है

यह निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड से बचा सकता है

समस्या:

क्षमा याचिका पर फैसला करने के लिए राष्ट्रपति पर कोई समय सीमा नहीं है ।

पारदर्शिता की कमी है क्योंकि स्वीकृति या अस्वीकृति का कारण नहीं बताया जाता है ।

INDIA TODAY
Supreme Court to have full bench strength of 34 judges after 2 years, for one day
New Delhi, UPDATED: May 8, 2022 12:09 IST

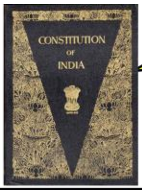

राष्ट्रपति को CJI से "परामर्श" करना होगा

SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, अनुच्छेद 124 (2) कहता है:
"मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा"
"परामर्श" का क्या अर्थ है?

प्रथम न्यायाधीश मामला 1982
- →परामर्श का अर्थ है विचारों का आदान-प्रदान।
- →CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

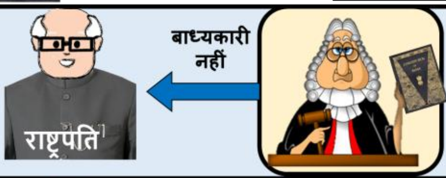

CJI

दूसरा न्यायाधीश मामला 1993
- →परामर्श का अर्थ है सहमति
- →CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- →CJI को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा

CJI को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा

तीसरा न्यायाधीश मामला 1998
- →परामर्श का अर्थ है सहमति
- →CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।
- →CJI को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा

CJI को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा

चौथा न्यायाधीश मामला 2015
- → 2015 में, सरकार ने संविधान में संशोधन किया
- → SC ने फैसला सुनाया कि NJAC असंवैधानिक है

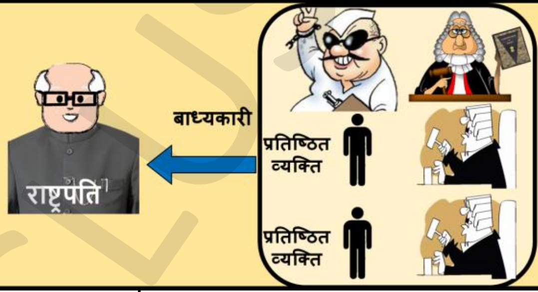

CJI
केंद्रीय कानून मंत्री
दो वरिष्ठतम न्यायाधीश
दो प्रतिष्ठित व्यक्ति

SC न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता
भारतीय नागरिक, और
5 साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या
10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकालत, या
राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता:
भारतीय नागरिक, और
10 साल के लिए उच्च न्यायालय में वकालत, या
10 साल तक भारत में न्यायिक पद पर रहे
SC/HC जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है

- SC के न्यायाधीशों की संख्या तय करता है - **संसद**
- HC के न्यायाधीशों की संख्या तय करता है - **राष्ट्रपति**
- SC में वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? **34** (CJI सहित)

निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
✓ शुरू में संविधान ने SC में पदों की संख्या निर्धारित की थी
✓ संसद संविधान में संशोधन किए बिना सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ा सकती है।

HC न्यायाधीश का तबादला
राष्ट्रपति CJI से परामर्श करते है; CJI परामर्श करेंगे
- सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशो से
- दोनों HC के चीफ जस्टिस से

HC के न्यायाधीश के तबादले का आधार
- 'न्याय के बेहतर प्रशासन' के लिए तबादला केवल 'जनहित' में हो सकता है
- यह दंडात्मक उपाय नहीं हो सकता है

	SC Judge	HC Judge
नियुक्ती	राष्ट्रपति	
इस्तीफा	राष्ट्रपति	
शपथ	राष्ट्रपति	गवर्नर
सेवानिवृत्ति की आयु	65	62
अवधि	नहीं	

	SC Judge	HC Judge
वेतन	भारत की स.नि.	राज्य की स.नि.
पेंशन	भारत की संचित निधि	
कौन तय करेगा	संसद	
कम हो सकती है?	केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान	

→ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 और 217 के तहत की जाती है।

→ संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति को CJI से परामर्श करना चाहिए।

→ लेकिन, 'परामर्श' का क्या अर्थ है, यह परिभाषित नहीं है, इसलिए बहस का विषय है।

कॉलेजियम प्रणाली

- CJI और चार वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते है ।
- संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
- यह प्रणाली थ्री जजेज़ केस से विकसित हुई है।

फर्स्ट जजेज़ मामला, 1982:

→ परामर्श का अर्थ होता है विचारों का आदान-प्रदान।

→ CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

सेकेण्ड जजेज़ मामला, 1993:

→ परामर्श का अर्थ है सहमति

→ CJI की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है।

→ CJI को दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए

थर्ड जजेज़ मामला, 1998:

→ CJI को चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा

कॉलेजियम प्रणाली के समर्थन में तर्क

- यह न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव से बचाता है।
- यह अनुच्छेद 50 को लागू करता है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कहता है।
- यह प्रतिभा की पहचान में मदद करता है क्योंकि न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों का बेहतर आकलन कर सकते हैं।
- यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है क्योंकि निर्णय बहुमत से लिया जाता है। कार्यपालिका में, नेता का असंगत प्रभाव होता है।

कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ तर्क

यह एक अपारदर्शी प्रणाली है -

→ कॉलेजियम के कामकाज में पारदर्शिता की कमी है

→ उम्मीदवारों के चयन या अस्वीकार करने का कारण सार्वजनिक नहीं किया जाता है

यह पक्षपात को बढ़ावा देता है -

→ न्यायाधीशों के चयन में भाई-भतीजावाद और पक्षपात होता है।

→ इससे "अंकल जज सिंड्रोम" होता है जैसा कि विधि आयोग ने 230 वीं रिपोर्ट में उल्लेख किया है।

आगे की राह

→ प्रत्येक चरण के लिए समयरेखा निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया ज्ञापन में संशोधन करें

→ "मेमरैन्डम ऑफ प्रोसीजर" में प्रत्येक चरण के लिए समयरेखा निर्धारित होनी चाहिए

→ कॉलेजियम में सुधार होना चाहिए, चयन का आधार सार्वजनिक किया जाना चाहिए

→ HC में रिश्तेदार होने वाले न्यायाधीश को उसी HC में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए

अंतर्राज्यीय परिषद / Inter-State Council

- ❑ अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया, लेकिन स्थायी संवैधानिक निकाय नहीं (ईसीआई के बारे में सोचें)
- ❑ सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित
- ❑ समन्वय, संवाद आदि को बढ़ावा देने के लिए
- ❑ सभी **राज्य** और **केंद्र शासित प्रदेश** इसमे शामिल है।
  - राज्य → मुख्यमंत्री/राज्यपाल
  - केंद्र शासित प्रदेश → मुख्यमंत्री/प्रशासक
- ❑ केंद्र से, PM + 6 कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री सहित)
  - PM → अध्यक्ष

अनुच्छेद **262**: अंतर्राज्यीय जल विवाद
अनुच्छेद **263**: अंतर्राज्यीय विवाद

क्या यह सरकारों के बीच कुछ कानूनी विवाद पर चर्चा कर सकती है?
हां, लेकिन इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं है (131 के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी है)

अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय
- ❑ 1991 में स्थापित
- ❑ अध्यक्ष - केंद्र सरकार में कोई सचिव
- ❑ 2011 से, क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

स्थायी समिति
- ❑ 1996 में स्थापित
- ❑ केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष
- ❑ पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
- ❑ 9 मुख्यमंत्री

	ISC	पांच क्षेत्रीय परिषद	उत्तर-पूर्वी परिषद
निकाय	संवैधानिक (अनुच्छेद 263)	वैधानिक (राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956)	वैधानिक (पूर्वोत्तर परिषद् अधिनियम, 1971)
अध्यक्ष	प्रधानमंत्री	केंद्रीय गृह मंत्री	केंद्रीय गृह मंत्री
उपाध्यक्ष	--	बारी-बारी से मुख्यमंत्री	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

Prelims 2013:
इनमें से किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद
2. योजना आयोग
3. क्षेत्रीय परिषद

सही उत्तर चुनिए
(a) 1 and 2 only (b) 2 only
(c) 1 and 3 only **(d) 1, 2 and 3**

Prelims 1995:
भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय हासिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय हैं?
1. राष्ट्रीय विकास परिषद
2. राज्यपाल की कॉन्फ्रेंस
3. क्षेत्रीय परिषद
4. अंतर-राज्यीय परिषद

Codes:
(a) 1 and 2 (b) 1, 2 and 3
(c) 3 and 4 (d) 4 only

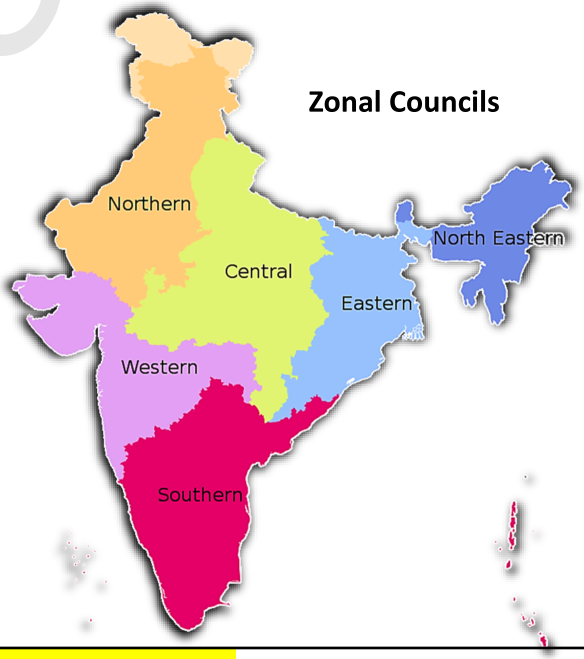

राष्ट्रीय विकास परिषद
- ❑ न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय
- ❑ पहली बैठक 1952; नवीनतम 2012
- ❑ नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल जैसी संरचना
- ❑ कोई काम नहीं सौंपा गया, कोई बैठक नहीं

अंतर्राज्यीय परिषद का महत्व क्या है?

→ यह एक संवैधानिक निकाय है, जबकि नीति आयोग कार्यकारी निकाय है

→ यह बातचीत के लिए मंच प्रदान करके केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी को कम करता है।

→ यह राज्यों को अपनी शिकायतों को आवाज देने का अवसर देकर एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है।

→ यह केंद्र-राज्य और राज्य-राज्य के बीच विवादों को हल करने में मदद कर सकता है।

यह बहुत सफल क्यों नहीं हुआ है?

→ बैठकों की कमी । 1990 के बाद से यह केवल 11 बार मिला है

→ केंद्र-राज्य के बीच नियमित बैठकों के लिए कई अन्य मंच हैं।

→ इसकी सलाह गैर बाध्यकारी है।

ISC को कैसे मजबूत किया जा सकता है?

→ नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

→ गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, डोमेन विशेषज्ञों आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करें।

→ समवर्ती सूची के मामलों में ISC की निरंतर ऑडिटिंग भूमिका होनी चाहिए (पुंछी आयोग का सुझाव)

ALL INCLUSIVE IAS

राजनीति में महिलाएं / Women in politics   PT 365

THE HINDU

Thiruvananthapuram Declaration seeks passage of reservation Bill

Two-day National Women Legislators' Conference draws to a close

May 27, 2022 07:25 pm | Updated 07:34 pm IST - THIRUVANANTHAPURAM

संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी?	1952 में पहली लोकसभा में कितनी महिलाएं थीं?	वर्तमान स्थिति
15 (3 from Kerala)	24	15% लोकसभा में 15% विधायक में 45% स्थानीय निकायों में

IPU's संसद में महिलाएं रैंकिंग 2022

वैश्विक स्तर पर, 26% सांसद महिलाएं हैं।
भारत की रैंक 1998 में 95 से गिरकर 2022 में 143 हो गई
109 बांग्लादेश #111 पाकिस्तान #143 भारत

अंतर-संसदीय संघ (IPU)

(यह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है)
- यह राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है
- 1889 में स्थापित, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड
- 178 सदस्य भारत? हाँ अमेरिका? नहीं

राजनीति में महिलाएं / Women in politics   INTERVIEW

क्या लोकसभा में कोई आरक्षित सीटें हैं??

जनसंख्या के आधार पर SC और ST के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित हैं।

प्रतिशत के संदर्भ में कितनी सीटें आरक्षित हैं ?

SC के लिए लगभग 15% और ST के लिए लगभग 8%

महिलाओं के लिए 33% आरक्षण से, लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हो जाएंगी ?

यदि यह लागू हुआ, तो महिला आरक्षण क्षैतिज (horizontal) आरक्षण होगा, ऊर्ध्वाधर (vertical) आरक्षण नहीं।
इसलिए, 33% SC सीटें, 33% ST सीटें और 33% अनारक्षित सीटें, महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी ।

महिला सांसदों पर Quiz (The Hindu 31-10-2022 pg-13)

न्यूज़ीलैंड	संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हाल ही में 50% के आंकड़े को पार कर गया
रवांडा	संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक (61%) वाला देश
क्यूबा	आरक्षण न होने के बावजूद संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक (53%)
एनी मैस्करेन	संविधान सभा की 15 महिलाओं में से एक, केरल की पहली महिला सांसद भी
गीता मुखर्जी	सात बार लोकसभा सांसद 33% महिला आरक्षण की मांग का नेतृत्व किया
चंद्राणी मुर्मू	वर्तमान में भारत में सबसे कम उम्र की सांसद। ओडिशा के क्योंझर से
सोनल मानसिंह	राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद और एक प्रसिद्ध शास्त्रीय डान्सर भी

https://mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/19167_State_wise_seats_in_Lok_Sabha_18-03-2009.pdf

2008 में परिसीमन आयोग के आदेशों के अनुसार लोकसभा में सीटें:
412 अनारक्षित
084 SC के लिए आरक्षित
047 एसटी के लिए सीटें

अधिकतम कुल सीटें: UP (80 seats)
SC के लिए अधिकतम सीटें: UP (17 सीटें)
ST के लिए अधिकतम सीटें: MP (06 सीटें)

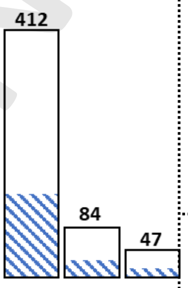

संविधान सभा में महिलाएं

1. सरोजिनी नायडू
2. सुचेता कृपलानी
3. विजयलक्ष्मी पंडित
4. राजकुमारी अमृत कौर
5. दुर्गाबाई देशमुख
6. हंसा जीवराज मेहता
7. एनी मैस्करेन
8. दक्षायनी वेलायुधन
9. अम्मू स्वामीनाथन
10. बेगम ऐजाज रसूल
11. मालती चौधरी
12. पूर्णिमा बनर्जी
13. कमला चौधरी
14. रेणुका रे
15. लीला रॉय

Read more....

- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1828466
- https://prsindia.org/billtrack/womens-reservation-bill-the-constitution-108th-amendment-bill-2008-45
- https://indianexpress.com/article/political-pulse/national-women-legislators-conference-reservation-defamation-7941098/
- https://indianexpress.com/article/opinion/columns/derek-obrien-writes-the-bjps-false-promises-on-the-womens-reservation-bill-8420766/
- https://newsonair.com/2022/05/26/president-kovind-inaugurates-national-conference-of-woman-legislators-in-thiruvananthapuram-lauds-role-of-women-in-constituent-assembly-of-india-of-which-3-were-from-kerala/

राजनीति में महिलाओं के भाग लेने के विभिन्न तरीके क्या हैं?

→ **विधायिका में महिलाएं** - 15% लोकसभा सांसद, 15% विधायक, 45% स्थानीय निकाय
→ **केंद्र कार्यकारिणी में महिलाएं** - 2019 में 23% (2021 में 9%)
→ **महिला मतदाता** - 2019 के चुनावों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 68%
→ **चुनाव में महिलाओं से जुड़े मुद्दे** - राजनेताओं द्वारा महिलाओं के खिलाफ अपराध
→ प्रचारक के रूप में महिलाएं, राजनीतिक दल के पदाधिकारी, आदि

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लाभ

→ यह नीति निर्माण के लिए लिंग संतुलित परिप्रेक्ष्य लाता है
→ यह धन, बाहुबल और राजनीतिक भ्रष्टाचार के उपयोग को कम करता है
→ यह अन्य महिलाओं को पढ़ने और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है ?

→ शिक्षा की कमी - कुछ राज्यो में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 8 वीं कक्षा अनिवार्य हैं
→ धन की कमी - चुनाव लड़ने के लिए पैसे जरूरी है। महिलाओं के पास पुरुषों से कम पैसा होता है
→ प्रॉक्सी उम्मीदवार - अधिकांश महिलाएं अपने पति की प्रॉक्सी उम्मीदवार होती हैं जैसे सरपंच पति
→ चुनावों की प्रकृति - चुनाव में धन और बाहुबल का उपयोग महिलाओं का होसला कम करता है

उठाए गए कदम

→ अनुच्छेद 243-D - यह पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है
→ महिला आरक्षण विधेयक - इसे कई बार संसद में पेश किया गया है

महिला आरक्षण बिल के समर्थन में तर्क

→ लोकसभा में सिर्फ 15% महिला सांसद हैं, जबकि वैश्विक औसत 26% है।
→ पंचायतों में महिला आरक्षण से महिला सशक्तिकरण हुआ है। इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दोहराया जाना चाहिए।

महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ तर्क

→ यह मतदाताओं की पसंद को प्रतिबंधित करता है
→ यह समाज में महिलाओं की स्थिति को कमजोर करेगा । यह माना जाएगा की महिलाएं अपनी योग्यता नहीं बल्कि आरक्षण के आधार पर जीती है ।

क्या किया जा सकता है?

→ समाज के सभी पहलुओं में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए
→ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू किया जाए
→ पहली बार विधायकों बनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह पुरुषों के सहयोग के बिना कार्य कर सके

ALL INCLUSIVE IAS